



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र, 1947 (श०)

संख्या - 152 राँची, बुधवार,

26 मार्च, 2025 (ई०)

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

संकल्प

23 मार्च, 2025

विषय:-श्री सुनील कुमार तत्कालीन उप निदेशक भूमि संरक्षण अनुसंधान केन्द्र डेमोटॉड, हजारीबाग-सह-निदेशक "समेति" सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा समर्पित विभागीय संकल्प संख्या-488 दिनांक-21.02.2024 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड पर पुनर्विचार संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

ज्ञापांक:-06/कृ०राज०स्था०-01/19-20/689--श्री सुनील कुमार तत्कालीन उप निदेशक, भूमि संरक्षण अनुसंधान केन्द्र डेमोटॉड, हजारीबाग-सह-निदेशक "समेति" सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध संचालित विभागीय संकल्प संख्या-935 दिनांक-20.06.2020 (मूल संकल्प संख्या-5301 दिनांक-10.08.2009) के माध्यम से संचालित विभागीय कार्यवाही में उनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आधार पर पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के तहत आंशिक पेंशन राशि की कटौती यथा उनके पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) की मासिक कटौती 10 (दस) वर्षों तक किये जाने एवं इनके निलंबन अवधि दिनांक-10.08.2009 से दिनांक-09.06.2013 तक के लिए इन्हें भुगतान किये गये निर्वहन भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई राशि प्रदान नहीं किये जाने संबंधी दण्ड का अधिरोपण विभागीय संकल्प संख्या-488 दिनांक-21.02.2024 के द्वारा किया गया है ।

2. श्री कुमार के द्वारा उपरोक्त विभागीय संकल्प पर पुनर्विचार करने हेतु अपने पत्रांक-शून्य, दिनांक-15.04.2024 के माध्यम से अनुरोध किया गया है, जिसकी समीक्षा में उनके बचाव के संदर्भ में कोई नया तथ्य अंकित नहीं पाये जाने के फलस्वरूप झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 तथा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2022 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप उक्त अपीलावेदन को अस्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव पर दिनांक-18.02.2025 की बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद की अनुशंसा प्राप्त करते हुए इसे माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के आदेशार्थ भेजा गया ।
3. वर्णित संदर्भ में माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव के पत्रांक- विविध-07/2025-555/रा0स0, दिनांक-05.03.2025 के द्वारा संबंधित प्रस्ताव पर माननीय राज्यपाल के द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के संबंध में निम्नवत् सूचित किया गया है-
“राज्य सरकार के उपर्युक्त प्रस्ताव के आलोक में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा आज दिनांक-05.03.2025 को अनुमोदन प्रदान की करने की कृपा की गयी है ।”
4. तदनुसार, श्री कुमार का अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए विषयगत मामले को निस्तारित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0,
सरकार के सचिव ।
